[illegible]

[illegible] के.सी. पुत्र श्री बकुलाराम की नाती व परिवारी
अधिकारी प्रार्थना पत्र मूल स्वीकार करने का अधिकारी
है एक वादकर अधिनियम का भी दरकिनार किया
कारण प्रार्थना पत्र मूल पर नवीन निर्णय पारित
का समाप्त अवैधानिक किया बाधक पत्र पारित
किया गया प्रार्थना पत्र मूल स्वीकार किये जाने हेतु
अं नाती व परिवारी अधिकारी के अधिकारी की पारावारक
व राजस्व अपीलीय विभाग नहीं बने तथा हम बकुले
का निर्धारित नो वादपत्र व निवारण व आदेश दिया
अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है
अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है
तथा अतिरिक्त ग्राम नाती की भूमि खसरा न
442 रकबा 0.78 हे. अंकन के दर्शी किया की 0.11 हे.
भूमि पर मूल दावे [illegible] मोड़ व राजस्व
विभाग की यथास्थिति [illegible]
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 18:03:11 IST
Reason: SelfAttested

24/1/23